



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032021-226039
CG-DL-E-23032021-226039

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2021/चैत्र 2, 1943

No. 16]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2021/CHAITRA 2, 1943

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2021

आ.अ. 18(अ).—यतः, कर्नाटक राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र 2-बेलगाम से लोक सभा के लिए निर्वाचित श्री सुरेश सी. अंगड़ी का स्थान, उनकी मृत्यु के कारण, 23 सितम्बर, 2020 को रिक्त हो गया है और;

2. यतः, उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ एक उपनिर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप-धारा (1) और धारा 30 एवं धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(क) कर्नाटक राज्य के उक्त 2-बेलगाम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि 4 मई, 2021 (मंगलवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार, लोक सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए; और

(ख) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित नियत करता है:-

(क) 30.03.2021 (मंगलवार) को नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख

(ख) 31.03.2021 (बुधवार) को नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख

(ग) 03.04.2021 (शनिवार) को अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख

(घ) 17.04.2021 (शनिवार) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा; और

- (ड.) 04.05.2021 (मंगलवार) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा; और
- (ग) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 7:00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान कराया जाएगा।

[सं.100/कर्नाटक-लो.स./1/2021]

आदेश से,

बी. सी. पात्रा, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi 23rd March, 2021

O.N. 18(E).—WHEREAS, the seat of Shri Suresh C. Angadi, in the House of People elected from 02-Belgaum Parliamentary Constituency in the State of Karnataka, has become vacant on 23rd September, 2020, by reason of his death; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) of section 149 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) calls upon the said 02-Belgaum Parliamentary Constituency in the State of Karnataka, to elect, before the 4th May, 2021 (Tuesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the said House of the People,

(B) **appoints**, with respect to the said election:-

(a) the 30th March, 2021 (Tuesday), as the last date for making nominations;

(b) the 31st March, 2021 (Wednesday), as the date for the Scrutiny of nominations;

(c) the 3rd April, 2021 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 17th April, 2021 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 4th May, 2021 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) **fixes the hours** from 7:00 A.M. to 7:00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[No. 100/KT-HP/1/2021]

By Order,

B. C. PATRA, SECY.